

FORM No. III

App-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

वालचन्द पिता नन्दलाल धामर बनाम प्रमिधारी सहस्रीलदार रावतभाटा बगौर

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र (पत्न्यशर्हि) नं. 93 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
14/05/2018	<p>प्राची वालचन्द पिता नन्दलाल धामर नि. एकलिंगपुरा द्वारा "राजस्व लोक अदालत आश्रित्यः-यात्र आपके द्वारा-2018" के अन्तर्गत आ.पं. एकलिंगपुरा में आयोजित शिबिर में पत्न्यशर्हि करने हेतु प्राथमिक-पत्र उत्सृष्ट किया गे फर्द शरिष्टर किया जावे। प्राची वालचन्द पिता नन्दलाल धामर नि. एकलिंगपुरा ने कानून एकलिंगपुरा पं. ६० एकलिंगपुरा शिबिर रावतभाटा की आशली नम्बर 197, 205, 206 रकबा 0.56, 0.09, 0.55 हे. कुल मिला 03 कुल रकबा 1.2 हे. की पत्न्यशर्हि करने जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आशली प्राची के रावतभाटा से फर्द रिफाई है।</p> <p>आतः कानून एकलिंगपुरा पं. ६० एकलिंगपुरा शिबिर आशली नम्बर 197, 205, 206 रकबा 0.56, 0.09, 0.55 हे. कुल मिला 03 कुल रकबा 1.2 हे. की बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किये सेलमेन्ट नम्बरो अनुसार पत्न्यशर्हि करने के आदेशा दिये जाते है। पत्न्यशर्हि रकबा प्राची वहन करेगा। कमीशनर शुल्क 20/- आसरे के जो रु. प्राची से बरतल हो। पालनार्थ सहस्रीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पत्रकाशन को शरित किया जासुर नियमानुसार उक्त आशली की पत्न्यशर्हि की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालना प्राप्त हो। पत्रावली फीसल शुमार दोसर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	